संख्याः222/2019/1465/35-4-2019

प्रेषक

अनिल कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनॉकः 27 अगस्त,2019

विषय-[1]सातवीं आर्थिक गणना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुक्रम में पी.एफ.एम.एस. (Public Finance Management System) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक खाता खोलने की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक,सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,सांख्यिकी कार्यालय(अर्थ एवं संख्या प्रभाग) भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-11012/5/2018-ई.एस.डी. दिनांक 25 मार्च,2019में निहित निर्देशों के अनुक्रम में आपके पत्र संख्या- 264/ले.-29/2019दिनांक 30 मार्च,2019में प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त ''सातवीं आर्थिक गणना'' के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुक्रम में पी.एफ.एम.एस.(Public Finance Management System) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन भारतीय स्टेट बैंक,विधान सभा मार्ग,लखनऊ में बचत खाता खोले जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति/अनुमति प्रदान करते हैः&

(1) उक्त खाता बचत खाता होगा।

(2) यह खाता निदेशक,अर्थ एवं संख्या प्रभाग,उ0प्र0लखनऊ के नाम से खोला जायेगा व खाते का संचालन निदेशक,अर्थ एवं संख्या प्रभाग,उ0प्र0लखनऊ व वित्त विभाग द्वारा नियोजन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक,नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(3) इस खाते में केवल वही धनराशि रखी जायेगी जिस प्रयोजन हेतु इसे खोला गया है। किसी अन्य कार्य हेतु इस खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्यथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

(4) प्रश्नगत बैंक खाता योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजनावधि के समाप्ति के पश्चात नियमानुसार खाते को बंद कर दिया जायेगा।

(5) खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-एफ.ए-1-137/दस-2019,दिनांक 20 अगस्त,2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः222/2019/1465/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0,इलाहाबाद,उ0प्र0। ।
2- महालेखाकार,लेखापरीक्षा,(प्रथम एवं द्वितीय,इलाहाबाद,उ0प्र0। ।
3- उपनिदेशक,सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,सांख्यिकी कार्यालय (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) भारत सरकार के पत्र संख्या-ई-11012/5/2018-ई.एस.डी.दिनांक 25मार्च,2019 के संदर्भ में।
4- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडीटर प्लानिंग),कार्यालय महालेखाकर लेखा परीक्षा प्रथम,सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड,इलाहाबाद,उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5,उ0प्र0शासन।
7- वित्त(लेखा)अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
8- गार्ड फाईल हेतु।
9- अतिरिक्त प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव,नियोजन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।